Grade B+ Accredited by NAAC

स्वामी विवेकानन्द
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लोहाघाट (चम्पावत)

(एस०एस०जे० विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध)

विवरणिका 2022–23

: Vision :

"To establish the institution as a Vibrant Centre of Quality Learning so as to contribute in Sustainable Development of Nation"

Mission :

In order to ensure the Vision, the institution has well visualized.

1- Dissemination of quality education integrating skill development.
2- Institutionalization and internalization of the best practices.
3- Creation of viable atmosphere for research oriented activities through development and improvement in research infrastructure.
4- Inculcation of values through education
5- Entrepreneurial capacity building among students in order to contribute to economic progress of local economy of state, thus the national economy
6- Addressing local needs and challenges by promoting innovation in teaching, learning, research and consultancy services.
7- Bringing awareness among students towards human rights, democratic values and welfare of underprivileged sections of society
8- Organization of environmental activities to raise issues of public health, hygiene, gender and equality.
9- Facilitation of latest sports infrastructure and training to enhance the strong physical attributes of the athletes of the region.
10- Promotion of culture where students, teachers, alumni and administrators can work together in harmony.

महाविद्यालय में वर्ष 2022–23 के प्रवेश के लिये आवंटित रिक्त सीटों का विवरण–

1. विज्ञान संकाय

क्र.सं.	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
01	जन्तु विज्ञान– सेमे0 – I	20	B.Sc.–ZBC- सेमे0 – I	80
02	वनस्पति विज्ञान– सेमे0 – I	20		
03	रसायन विज्ञान– सेमे0 – I	25		
04	भौतिक विज्ञान– सेमे0 – I	15	B.Sc. - PCM-सेमे0 – I	133
05	गणित– सेमे0 – I	40		

2. वाणिज्य संकाय

क्र.सं.	स्नातकोत्तर	कुल सीटें	स्नातक	कुल सीटें
01	एम0 काम– सेमे0 – I	30	B.Com- सेमे0 – I	133

3. कला संकाय

क्र.सं	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
01	भूगोल– सेमे0 – I	30	हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र	613
02	अर्थशास्त्र– सेमे0 – I	30		
03	संस्कृत– सेमे0 – I	60		
04	अंग्रेजी– सेमे0 – I	60		
05	हिन्दी– सेमे0 – I	50		
06	राजनीतिक विज्ञान– सेमे0 – I	60		
07	गृह विज्ञान– सेमे0 – I	60		

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
लोहाघाट, चम्पावत (उत्तराखण्ड)
संक्षिप्त परिचय

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत) हिमालय की उपत्यकाओं से निस्सरित कलकल–ध्वनि से युक्त लोहावती सरिता के तट पर बसे लोहाघाट नगर में स्थित है। यहाँ की सुरम्य एवं शान्तिप्रदायनी प्रकृति महाविद्यालय की गरिमा एवं महिमा में चार चाँद लगाती है। इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1979 में बी0ए0 एवं बी0कॉम0 विषयों के साथ हुई थी। श्रेष्ठ प्रशासन, कर्मठ एवं प्रोत्साहक प्राध्यापकों, समस्त कर्मचारियों, उत्साही एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों तथा जागरुक अभिभावकों के सहयोग के कारण इस महाविद्यालय की उत्तराखण्ड के परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थिति है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC बंगलौर द्वारा वर्ष 2017 (द्वितीय चक्र) में महाविद्यालय को B^+ श्रेणी दी गयी है। वर्तमान समय में महाविद्यालय में स्नातक (बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0) के साथ ही स्नातकोत्तर (हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, गृह विज्ञान एवं एम0 कॉम0, विज्ञान में एम0एस0सी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित) कक्षायें संचालित हो रही हैं। छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेशनल कैडेट कोर की सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए विभागीय परिषदों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें अनेक शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा की स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0एस–सी/एम0कॉम) की कक्षाओं में नई शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2022–23 में प्रवेश के नियम

अध्याय 1– साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/समक्ष अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online पंजीकरण Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बंध में अन्तिम निर्णव विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online पंजीकृत प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अंतरिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अंतरिम योग्यता सूची तैयार करने के लिये प्रवेश समितियॉ विश्वविद्यालय की वैवसाइड से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का ऑकडा (Data) Excel Format में डाउन लोड कर सकते है। यदि उपरोक्त डाटा को डाउनलोड करने में कठिनार्द उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिये परीक्षा नियन्त्रक को ई–मेल के माध्यम से भेजने के लिये सूचित किया जा सकता है। महाविद्यालय/परिसर अंतरिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online पंजीकृत आवेदन में अंकित सूचनाओं की सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर Verification कर दिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार पंजीकरण किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित महाविद्यालय में अपने शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की दो–दो स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक को प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेवसाइड में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारुप (क) तथा प्रारुप–(ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधडी़ से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप सजा के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रस्तर 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकरी होने पर महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सूचना सम्बंधित संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 किसी भी विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में जमा नहीं किया हो।

1.11 प्रवेश के इच्छुक अभियर्थी को यू0 जी0 सी0 पोर्टल पर एन्टीरेगिंग फार्म भरकर उसका स्क्रीन सोर्ट लेकर अपने संकाय की ई–मेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा।

B.A- antirba @gmal.com

B.Com antirbcom@gmal.com

B.Sc antirbsc@gmal.com

1.12 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1.अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2.अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3.ई0डब्लू0एस0 (मात्र सामान्य वर्ग के लिये)	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)
4.अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

(आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट– स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों, महिलाओं, सैनिकों, तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा–

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा) उत्तराखण्ड शासन द्वारा नितिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.13 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।

(i) Extension in date of admission upto 30 days.

(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1.14 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' अथवा 'जी' पार्ट–1, जी–2 प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगा भाई/बहन	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन	20 अंक
(ड.) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	50 अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर–	20 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगतिा में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता	25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोटः– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.15 (क)यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त व अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बंधित महाविद्यालयो द्वारा उक्त अनापत्ति (एन0ओ0सी0) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुये प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.16 **(क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु**

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त

(1) शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 2 वर्षो के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेगें (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेगें)

(3) किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनो वर्ष में पढाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकि के वर्षो की पढाई पूरा करने के लिये 3 वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढाई) के मिलेगें।

नोट– नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यवस्था एन0 ई0 पी0 2020 में प्रवेश लेने वाले विद्याथिर्यो पर ही लागू होगी अन्य विद्याथिर्यो के लिये सोबन सिंह जिना विश्व विद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये नियम ही लागू होगें।

(4) भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यू0एफ0 राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बंध में जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगें उनके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.17 सोबन सिंह जीन विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं।

1.18 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा। एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007(cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो

उपाधि होती है तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.19 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 5 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाद्यिालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.20 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियंत्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरुप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्व विद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम /एम0एससी0) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम (शिक्षा सत्र 2022–23)

अध्याय–2– योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र–छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता कम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी–

(1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा– स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता हैं

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यो/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुये प्रवेश के सम्बंध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होगें।

2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.6 (a) For Bachelor of science (B.Sc.)

ग्रुप (A) एवं (B) में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय III (Major Subject) का चुनाव ग्रुप सी के विषय से कर सकेगा।

Mathematics Groups		
Group A	Group B	Group C
Mathematics	Physics	Chemistry/Statistics/Computer Science Information Technology/Geology/Military Science

Biology Groups		
Group A	Group B	Group C
Botany	Zoology	Chemistry/Forestry/InformationTechnology/ Geology/Military Science

(b) For Bachelor of Arts (B.A.)

अभ्यर्थी को 2 मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से 2 पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय III (Major Subject III) को निम्नलिखित समूहो से चुलेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों में से ही चुने जा सकेगें।

A	B	C	D	E	F
English Literature	Drawing and Painting	Geography	Education	Hindi Literature	Political Science
Kumauni Bhasa	Economics Home Sciece	History	Sociology		
Sanskrti Literature	Physical Science	Yoga Music			
	Psychology Anthropology	Military Science			

(c) For Bachelor of Commerce (B.Com)

ग्रुप (A) एवं (B) में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय III (Major Subject) का चुनाव ग्रुप सी के विषय से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business regulatory frame work	Business organisation management (or) Business communication

Minor Subject
B.A./ B.Sc./ B.Com.

Fourth minor Elective Subject	**Semester**	
	II	IV

Vocational Course (Minor Subjects)

Sem.	B.A.	B.Sc.	B.Com.
I	Critical thinking and writing	Fundamentals of Computer	Basics of Marketing
II	Leadership and Teamwork	Business Statistics	Advertising Management
III	Fundamentals of Computer	Disaster Management	Entrepreneurship
IV	Field Study Techniques and Report Writing	Digital Literacy and Cyber Security	Fundamentals of Business

Co-curricular Course (Minor Subjects)

Sem.	B.A./B.Sc./ B.Com.
I	Communicaiton Skills
II	Environment Studies and Value Education
III	Management Paradigms from Bhagwat Geeta
IV	Vedic Studies
V	Meditation
VI	Vivekanand Studies

वैधानिक नियंत्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरुप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम– प्रथम सेमेस्टर

क स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहां लागू हो)

Calculation of Index for P.G. I Semester Admission (Where ever applicable)

The following formula would be used for admission to P.G. I Semester Class-

I=X+2Y+2Z (Merit index)

X= Marks ontained in practicals of all subject at UG Level

Y= Marks ontained in theory of all subjects taken at UG Level (This would include all the subject taken at UG Level)

Z= Total marks obtained in theory at UG Level in the subject in which admission is required at PG Semester class (Admission would be given to PG Semester-I, only in one of the subject taken at the UG level)

मान्यता प्राप्त एन0आई0ओ0एस0 (National Institute of Open Schooling) बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं प्रवेश लेने हेतु सबसे अच्छे पॉच विषयों का चयन करना होगा।

ख कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर (कला संकाय/विषय में) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने

स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय में (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

प्रवेश हेतु सत्यापन के दौरान प्रत्येक छा़त्र / छात्रा द्वारा महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज–

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक माता/पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।
2. विधिवत हस्ताक्षरित अभिवचन, छात्र/अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. हाई–स्कूल प्रमाण पत्र।
6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ।
7. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।
8. अधिमान अंको हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ– एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, खेलकूद इत्यादि) विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.ssju.ac.in में निर्देशित है।

नोट : अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ अवश्य लायें साथ ही यह भी आग्रह है कि विश्वविद्यालय की वैवसाईट www.ssju.ac.in में दिये गये प्रवेश नियमों को भली–भॉति पढ़ लें।

बी0 एड0 पाठ्यक्रम (स्व–वित्तपोषित)

आवंटित सीटें :– आवंटित सीटें– 50

प्रवेश प्रक्रियाः– कुमाऊँ विश्वविद्यालय बी0एड0 प्रवेश परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वारा भेजे जायेंगे।

शुल्क विवरण– रू0 35,000/– (शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)
रू0 1,000/– (धरोहर राशि वापसी योग्य)

पाठ्यक्रम समन्वयक– डा0 अपराजिता फोन नम्बर– 6398864369

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2010–11 में अध्ययन केन्द्र संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिससे प्रदेश में सेवारत, दूरस्थ स्थानों में निवास करने वाले युवा विशेषकर महिलायें जो नियमित अध्ययन हेतु अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती है। उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होकर सुगमता से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

MCA, MBA, MSW, M.A. - Education, Psychology, Journalism, Hindi, Sanskrit,English, Economics, Pol. Sci., History, Sociology, Geography, M.Sc. – Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, Env. Science, BCA, B.Com. B.A. – Arts, B.Sc. – ZBC, PCM , PGDCA , PGDJMC, PGDDM

Coordinator : Dr. Vimla Devi 9411900411
Co- Coordinator : Dr. S.P. Singh 9411130537

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

(क) प्रत्येक कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रवेशार्थी के स्पष्ट हस्तलेख में भरा जाना चाहिए, आवेदन पत्र में समस्त विवरण एवं सूचनायें पूर्ण रूप से अंकित हो। आवेदन पत्र उल्लिखित (क) छात्र द्वारा शपथ के नीचे प्रवेशार्थी और (ख) पिता अथवा अभिभावक की घोषणा के नीचे पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य हों। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नक अपेक्षित है–

1. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज के नवीनतम तीन फोटो चिपकाने होंगे। परिचय पत्र के लिए एक फोटो और नत्थी करनी होगी।
2. हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण – पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. हाईस्कूल के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र (मूल प्रति) (यदि प्रवेशार्थी के अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की हो तब किसी सांसद/विधायक/स्थानीय निकाय के अध्यक्ष अथवा राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय) जो कि छः माह से अधिक पुराना न हो।
6. पूर्व शिक्षण संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र।
7. पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित होने का प्रमाण–पत्र।
8. खेलकूद तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ।
9. विगत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को उस विश्वविद्यालय का प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सार्टिफिकेट) जमा करना होगा।
10. (क) अन्य प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियॉ (जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है)।

    (ख) द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रथम या द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक पत्र की अभिप्रमाणित प्रति लगाना आवश्यक होगा।

    (ग) महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

    (घ) महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्राचार्य द्वारा निर्धारित एवं सूचित दिनांक समय व स्थान पर आवेदन पत्रों की जॉच तथा प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त प्रवेशार्थ संस्तुति प्रदान करेगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

    (ड.) प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि(शुल्क रसीद प्राप्त होने के तीन दिन) के भीतर कार्यालय द्वारा सूचित बैक में शुल्क जमा न किये जाने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

बी0ए0, बी0कॉम0 I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण (बिना प्रयोगात्मक)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
स्थानान्तरण व चरित्र प्रमाण–पत्र	5.00		
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	3.00
योग	**275.00**	**270.00**	**270.00**
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	-	-	-
पर्यावरण अध्ययन	-	105.00	-
अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	**1090.00**	**1195.00**	**1090.00**
महायोग	**1365.00**	**1465.00**	**1360.00**

बी0ए0 I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण (एक–प्रयोगात्मक)

विवरण	I& II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	3.00
लेब शुल्क	240.00	240.00	240.00
टी0सी0शुल्क	5.00		
योग	**515.00**	**510.00**	**510.00**
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	120.00	120.00	120.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	140.00	140.00	140.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभि0 शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	**1350.00**	**1455.00**	**1350.00**
महायोग	**1865.00**	**1965.00**	**1850.00**

बी0ए0 एवं बी0एससी0 (गणित) I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण
(बी0एससी0/भूगोल– 2 प्रयोगात्मक)

विवरण	I & II सेमेस्टर	III & IV सेमेस्टर	V & VI सेमेस्टर
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	240.00	240.00	240.00
लेब शुल्क	3.00	3.00	3.00
टी0सी0	5.00		
योग	**515.00**	**510.00**	**510.00**
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	120.00	120.00	120.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	280.00	280.00	280.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभि0 शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	**1490.00**	**1595.00**	**1490.00**
महायोग	**2005.00**	**2105.00**	**2000.00**

बी0एससी0 (बायो) I-VI सेमेस्टर शुल्क विवरण
(ZBC – सभी प्रयोगात्मक विषय)

विवरण	**I & II सेमेस्टर**	**III & IV सेमेस्टर**	**V & VI सेमेस्टर**
प्रवेश	3.00	3.00	3.00
विकास शुल्क	24.00	24.00	24.00
महगांई शुल्क	240.00	240.00	240.00
पुस्तकालय शुल्क	240.00	240.00	240.00
लेब शुल्क	3.00	3.00	3.00
टी0सी0	.5.00		
योग	**515.00**	**510.00**	**510.00**
क्रीडा शुल्क	300.00	300.00	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00	10.00	10.00
छात्र परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00
विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00
विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00
जल आपूर्ति शुल्क	25.00	25.00	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
कैरियर परिषद शुल्क	30.00	30.00	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00
कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00	50.00	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
रोवर्स रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	120.00	120.00	120.00
आन्तरिक व बाह्य परीक्षा शुल्क	420.00	420.00	420.00
पर्यावरण अध्ययन शुल्क	-	105.00	-
अभि0 शिक्षक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00
योग	**1630.00**	**1735.00**	**1630.00**
महायोग	**2145.00**	**2245.00**	**2140.00**

एम0ए0 / एम0 काम0 प्रथम / तृतीय सेमेस्टर बिना प्रयोगात्मक

विवरण	एम0ए0 / एम0कॉम प्रथम / तृतीय सेमे0
शिक्षण शुल्क	180.00
प्रवेश शुल्क	03.00
मंहगाई शुल्क	240.00
विकास शुल्क	24.00
पुस्तकालय शुल्क	10.00
टी0सी0	5.00
कुल योग	**462.00**
क्रीड़ा शुल्क	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00
परिचय–पत्र शुल्क	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00
परिषद शुल्क	50.00
छात्र संघ शुल्क	50.00
विविध शुल्क	100.00
विद्युत शुल्क	60.00
जलापूर्ति शुल्क	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00
कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00
कम्प्यूटर इंटरनेट शुल्क	70.00
जनरेटर / इन्वर्टर शुल्क	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00
पी0टी0ए0 शुल्क	30.00
कुल योग	**1030.00**
महायोग	**1492.00**

एस0सी0 / एस0टी0 के लिए कुल शिक्षण शुल्क 1492–180 = 1312.00

एम0ए0, एम0एससी0 प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रयोगात्मक

विवरण	एम0ए0/एम0एस0सी0 प्रथम/तृतीय सेमे0
शिक्षण शुल्क	180.00
प्रवेश शुल्क	03.00
मंहगाई शुल्क	240.00
विकास शुल्क	24.00
प्रयोगशाला शुल्क	240.00
पुस्तकालय शुल्क	10.00
टी0सी0	5.00
कुल योग	**702.00**

क्रीड़ा शुल्क	300.00
पत्रिका शुल्क	50.00
वाचनालय शुल्क	30.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00
निर्धन छात्र शुल्क	10.00
परिषद शुल्क	50.00
छात्र संघ शुल्क	50.00
विविध शुल्क	100.00
विद्युत शुल्क	60.00
जलापूर्ति शुल्क	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	30.00
कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क	30.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00
प्रसाधन शुल्क	50.00
कम्प्यूटर इंटरनेट शुल्क	70.00
जनरेटर/इन्वर्टर शुल्क	50.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	50.00
प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	120.00
आन्तरिक परीक्षा शुल्क	150.00
वाह्य परीक्षा शुल्क	150.00
कुल योग	**1420.00**
महायोग	**2122.00**

एस0सी0/ एस0टी0 के लिए कुल शिक्षण शुल्क 2122.00– 180= 1942.00

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)
कक्षावार शुल्क विवरण : सत्र 2021–22

सेमेस्टर	धनराशि (शुल्क)
बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1365.00
बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर (01 प्रैक्टिकल विषय)	1865.00
बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर (02 प्रैक्टिकल विषय)	2005.00
बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1465.00
बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर (एक प्रैक्टिकल विषय)	1965.00
बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर (दो प्रैक्टिकल विषय)	2105.00
बी0ए0 पंचम सेमेस्टर (बिना प्रैक्टिकल विषय)	1360.00
बी0ए0 पंचम सेमेस्टर (एक प्रैक्टिकल विषय)	1860.00
बी0ए0 पंचम सेमेस्टर (दो प्रैक्टिकल विषय)	2000.00
बी0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर	1365.00
बी0कॉम0 तृतीय सेमेस्टर	1465.00
बी0कॉम पंचम सेमेस्टर	1360.00
बी0एससी0 प्रथम सेमेस्टर (PCM)	2005.00
बी0एससी0 तृतीय सेमेस्टर (PCM)	2105.00
बी0एससी0 पंचम सेमेस्टर (PCM)	2000.00
बी0एससी0 प्रथम सेमेस्टर (ZBC)	2145.00
बी0एससी0 तृतीय सेमेस्टर (ZBC)	2245.00
बी0एससी0 पंचम सेमेस्टर (ZBC)	2140.00
एम0ए0 / एम0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (Gen/OBC)	1492.00
एम0ए00 / एम0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर (SC/ST)	1312.00
एम0ए0 / एम0कॉम0 तृतीय सेमेस्टर (Gen/OBC)	1492.00
एम0ए0 / एम0कॉम0 तृतीय सेमेस्टर (SC/ST)	1312.00
एम0ए0 / एम0एससी0 प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (Gen/OBC)	2122.00
एम0ए0 / एम0एससी0 प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (SC/ST)	1942.00
एम0ए0 / एम0एससी0 प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (Gen/OBC)	2122.00
एम0ए0 / एम0एससी0 प्रथम सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय (SC/ST)	1942.00

शुल्क राशियों से सम्बन्धित नियम

1. आवश्यक शुल्कादि जमा करने पर प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय रजिस्टर में दर्ज हो जायेगा और उसे शुल्क रसीद व कक्षा में प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
2. शुल्क की रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेशार्थी अपने चयनित विषय के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने के साथ–साथ पुस्तकालय कार्ड तथा परिचय पत्र भी बनवा सकेगा।
3. सभी छात्र–छात्राएँ नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। जिस छात्र–छात्राओं के परिचय पत्र खो गये हो अथवा नष्ट हो गये हो वह निर्धारित शुल्क जमा कर नये परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

कक्षा में उपस्थिति के नियम

1. प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को अपने टाइम–टेबल के अनुसार नियमित रूप से व्याख्यान कक्षाओं अथवा प्रयोगात्मक कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा।
2. विश्वविद्यालय के नियमानुसार उक्त कक्षाओं में पूरे शिक्षा सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित होगा।
3. अपेक्षा से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सूचना पट द्वारा अथवा लिखित रूप से सत्र में दो बार चेतावनी दे दी जाती है और सत्रान्त में जिनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम पाई जाती है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।
4. जो विद्यार्थी महाविद्यालय टीम के साथ, महाविद्यालय टूर अथवा शिविर में कहीं जाते हैं वे वहॉ की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपने विषयों की कक्षाओं की उपस्थिति पंजिका में तत्सम्बन्धी उल्लेख करना होगा।

क्रीड़ा सम्बन्धी नियम

1. क्रीड़ा सामग्री केवल महाविद्यालय परिसर में खेलने के लिए ही निर्गत की जायेगी।
2. विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के लिए पहले टीम का गठन होगा। टीम के गठन की घोषित दिनांक को यदि छात्र उपस्थित नहीं होते है, तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार से सम्बन्धित खेल की टीम का पुनः गठन होगा।
3. प्रतियोगिता हेतु क्रीड़ा–सामग्री सम्बन्धित टीम के कप्तान के सुझाव के उपरान्त टीम के सदस्यों को यदि व्यक्तिगत रूप से निर्गत की जायेगी। सम्बन्धित सामग्री को लौटाने का सामूहिक उत्तरदायित्व टीम के कप्तान का होगा। टीम के सदस्य सामग्री को लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। क्रीड़ा सामग्री जमा न करने अथवा बदल देने पर सामग्री का पूर्ण मूल्य महाविद्यालय में जमा करना होगा। ऐसा न होने पर सम्बन्धित छात्र को परीक्षा में बैठने से रोक दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय टीम केवल जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय अथवा उच्च प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजी जायेगी तथा उसे नियमानुसार प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क, जलपान आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
5. महाविद्यालय में शारीरिक प्रवक्ता का पद नहीं है। अतः छात्र–छात्राओं का यह कर्त्तव्य है कि वे क्रीड़ा प्रभारी को अधिकतम सहयोग प्रदान करें।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

विद्यार्थियों की सहायता के लिए महाविद्यालय में पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय प्राध्यापक प्रभारी की देख–रेख में संचालित होता है। पुस्तकालय से पुस्तकें देते समय निर्धन या पिछड़ी जाति के छात्रों व अवकाश प्राप्त सैनिकों व प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों के आश्रितों को वरीयता प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय के नियम निम्नलिखित है–(क)

1. महाविद्यालय पुस्तकालय द्वारा कार्य दिवसों में 10 बजे पूर्वाह्न से 01 बज अपराह्न तक स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत की जाती है प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन निश्चित होता है। शुल्क रसीद तथा परिचय पत्र दिखाकर विद्यार्थी निर्धारित दिवसों में पुस्तकें प्राप्त कर सकते है।
2. शोध विद्यार्थी कार्य दिवसों में अपराह्न 01 बजे से 05 बजे तक वाचनालय में अध्ययन हेतु सामग्री प्राप्त कर सकते है। शोध विद्यार्थी को शोध सम्बन्धी पुस्तकें शोध निर्देशक (प्राध्यापक) की संस्तुति के उपरान्त निर्गत की जायेगी।
3. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को अधिकतम छः पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी को एक बार में चार पुस्तकें (उपलब्ध होने पर छः पुस्तके) निर्गत की जायेंगी।
4. बुक बैंक के अलावा मुख्य पुस्तकालय से प्रत्येक छात्र की पुस्तक पढ़ने के लिए मात्र 14 दिन के लिए ही दी जायेगी 14 दिन के बाद पुस्तक न लौटाने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा।
5. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने और निर्धारित अवधि में लौटाने का दायित्व विद्यार्थी का हैं एक बार ली गई पुस्तकों को वापिस करने के बाद ही अन्य पुस्तके प्राप्त कर सकते है।
7. पुस्तके लौटाते समय उसके फटे होने, पन्ने निकलने, खराब होने की दशा में विद्यार्थी को उसके बदले नई पुस्तक देनी होगी अथवा पुस्तक का पूरा मूल्य चुकाना होगा।

(ख)

1. पुस्तकालय से किसी छात्र–छात्रा को उपलब्ध होने पर अधिकतम दो पुस्तक दी जा सकती है।
2. छात्र–छात्रा को कुल निर्गत पुस्तकों के मूल्य की दस प्रतिशत रकम सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करनी होगी।
3. निर्गत पुस्तक परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व वापस करके पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. कटी–फटी या गुम पुस्तकों का पूर्ण मूल्य देय होगा।

छात्रों के आचार नियम

1. छात्र–छात्राओं को अनुशासित, विनम्र एवं शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिये।
2. छात्र–छात्राओं को नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट देखना चाहिए तथा सूचनाओं व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
3. छात्र–छात्राओं को प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना कोई सभा नहीं करनी चाहिए।
4. छात्र–छात्राओं को अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।
5. छात्र–छात्राओं को एक आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण रखना चाहिए।

6. महाविद्यालय की दीवारों पर थूकना, उस पर लिखना फर्नीचर तथा अन्य सम्पतियों को हानि पहुॅचाना आदि को गम्भीर अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा इसके लिए दोषी छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा क्षतिपूर्ति भी कराई जायेगी।
7. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मद्यपान व गुटखा, तम्बाकू का सेवन वर्जित है।
8. छात्र–छात्राओं को अपने हितों से सम्बन्धित जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रभारी प्राध्यापक छात्र संघ से सम्पर्क करना चाहिए।
9. छात्र–छात्राओं को मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) या अन्य किसी प्राध्यापक द्वारा मागे जाने पर अपना परिचय पत्र दिखाना चाहिए। अतः परिचयपत्र सदैव साथ लायें।
10. छात्र–छात्राओं को अनुशासन सम्बन्धी शिकायतों के लिए मुख्य प्रशास्ता (चीफ प्राक्टर) से मिलना चाहिए।
11. छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन से सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। छात्र–छात्राओं की वेशभूषा से उनका परिचय झलकता है। इसलिए सामान्य वेशभूषा अपेक्षित है।
12. छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येतर कार्यकलापों में सक्रिय भाग लेना चाहिए।
13. छात्र–छात्राओं को अपने पारस्परिक व्यवहार एवं निष्ठा से महाविद्यालय में चली आ रही अनुशासन की स्वस्थ परम्परा को बनायें रखना चाहिए।
14. महाविद्यालय परिसर में छात्र–छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर फोन जब्त किया जा सकता है।

वाचनालय

सामान्य ज्ञान वर्धन के लिए रिक्त वादनों में विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर विभिन्न पत्र–पत्रिका का अध्ययन करते हैं वाचनलय में शान्तिपूर्ण आचरण अपेक्षित है, ताकि अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को असुविधा न होने पाये।

शास्ता–मण्डल

महाविद्यालय में गठित शास्ता–मण्डल द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को सुचारू रखना सुनिश्चित किया जाता है। शास्ता–मण्डल प्रत्येक दशा में गठित किया जाता है।

पाठ्येत्तर कार्य–कलाप

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्येतर कार्य–कलापों पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है। इन कार्य–कलापों के द्वारा उनमें संगठन की योजना, नेतृत्व की क्षमता, सहयोग की भावना, भाषण की पटुता, नैतिक दृढ़ता और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है। महाविद्यालय के पाठ्येतर क्रिया कलापों में निम्नलिखित प्रमुख है–

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0):–** इस योजना के अन्तर्गत समाज सेवा सम्बन्धित कार्य एक दिवसीय व दस दिवसीय शिविरों में सम्पादित होते है। जैसे जन साक्षरता, वृक्षारोपण, ग्रामोत्थान, सामूहिक श्रमदान आदि।
2. **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0):–** छात्रों में सैनिक के गुणों का विकास कर उनमें राष्ट्र रक्षा की भावना जगाना उद्देश्य है। महाविद्यालय में 80 यू0ए0एन0सी0 पिथौरागढ़ की इकाई सत्र 2004 से प्रारम्भ की गई है। 103 कैडेट की इकाई है जिसमें 33 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित है। एन0सी0सी0 में चयनित कैडेट से धरोहर राशि के

रूप में रू0 350/– जमा करवाये जायेंगे, जो कैडेट द्वारा एन0सी0सी0 छोड़ने पर उसके द्वारा उसको निर्गत सामग्री महाविद्यालय में जमा करने पर वापस किये जायेंगे।

3. **क्रीड़ा परिषदः–** छात्र–छात्राओं की खेल कूद सम्बन्धी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली इस परिषद के तत्वावधान में महाविद्यालय के क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पादित होते है।
4. **सांस्कृतिक परिषदः–** छात्र–छात्राओं द्वारा संगठित यह परिषद महत्वपूर्ण अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ये कार्यक्रम मनोरंजन, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक होते है।
5. **छात्र संघः–** छात्र–छात्राओं के कल्याण की योजना बनाकर उन्हें कार्यन्वित करने वाले इस संघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कठिनाईयों को दूर करके उनमें संस्था के प्रति अनुराग जगाना है। इस संघ का चुनाव छात्र–छात्राओं द्वारा ही किया जाता है।
6. **विभागीय परिषदः–** महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय परिषद है जिसके तत्वावधान में वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, सामान्य ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं का आोजन किया जाता है।
7. **राष्ट्रीय पर्व :–** समस्त राष्ट्रीय पर्व व अन्य महत्वपूर्ण पर्वो पर भी महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। सत्रान्त में वार्षिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाया जाता है।
8. **रोवर्स रेन्जर्स :–** इसके द्वारा छात्रों में सेवा एवं अनुशासन की भावना जागृत की जाती है, प्रान्तीय स्तर पर भी शिविर आयोजित होते रहते है।
9. **प्रतियोगी कक्षाओं का संचालन :–** अनु0 जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं के बौद्धिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाता है।

अन्य नियम

1. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0)

इसके लिए छात्र–छात्रा को देयक प्रमाण–पत्र तथा पांच रू0 शुल्क सहित आवेदन करना पड़ता है। इसे जारी करने में सामान्यतया एक सप्ताह लगता है।

2. चरित्र प्रमाण–पत्र

महाविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थी को स्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। स्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र टी0सी0 के साथ दिया जाता है।

3. परिचय पत्र की दूसरी प्रतिलिपि

परिचय पत्र गुम होने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराने की प्रतिलिपि के साथ छात्र–छात्रा को पुनः परिचय पत्र शुल्क रू0 40/– तथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र सहित देना होगा।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, चम्पावत

महाविद्यालय प्राध्यापक

शिक्षा सत्र 2022–23

प्राचार्य–डा0 संगीता गुप्ता – 9359411473			
कला संकाय/सामाजिक विज्ञान संकाय हिन्दी विभाग		**भौतिक विज्ञान विभाग**	
1. श्री दिनेश राम, असि0 प्रो0	9456510545	1. डा0 श्यामेन्द्र प्रताप सिंह, असि0 प्रो0	9411130537
2. डा0 वन्दना चन्द, असि0 प्रो0	9627569423	2. श्रीमती नम्रता देव महर, असि0 प्रो0	9458177749
संस्कृत विभाग		**वनस्पति विज्ञान विभाग**	
1. डा0 कमलेश शक्टा, असि0 प्रो0	9410567014	1. श्री मनोज कुमार, असि0 प्रो0	9411790874
2. श्री भूप सिंह धामी, असि0 प्रो0	9412314671	2. श्रीमती प्रीति पंत, असि0 प्रो0	9756164627
3. श्रीमती अनीता टम्टा, असि0 प्रो0	8938845050	3. श्री पंकज कुमार टम्टा, असि0 प्रो0	8958152997
अंग्रेजी विभाग		**जन्तु विज्ञान विभाग**	
1. डा0 महेश कुमार त्रिपाठी, असि0 प्रो0	9450530715	1. डा0 धर्मेन्द कुमार, असि0 प्रो0	9412032748
2. श्री भगत राम लोहिया,असि0प्रो0	9410156994	2. श्री वीरेन्द्र मौनी प्रवक्ता	9760369305
3. श्रीमती मीनाक्षी जोशी, प्रवक्ता	7703923203	**रसायन विज्ञान विभाग**	
भूगोल विभाग		1. कु0 अनीता खर्कवाल, असि0 प्रो0	9968595918
1. डा0 लता कैड़ा, असि0 प्रो0	9411538300	2. डा0 चारु गरकोटी, प्रवक्ता	8375021907
2. डा0 सुमन पाण्डेय, असि0 प्रो0	8979808981	**गणित विभाग**	
3. डा0 पुष्पा, असि0 प्रो0	9410792447	1. डा0 सीमा नेगी, असि0 प्रो0	9119068368
अर्थशास्त्र विभाग		2. डा0 स्वाति बिष्ट, असि0 प्रो0	8630337677
1. डा0 अर्चना त्रिपाठी, असि0 प्रो0	9410611044	**वाणिज्य संकाय**	
2. श्री सुनील कुमार, असि0 प्रो0	9756906594	1. कु0 शान्ति, असि0 प्रो0	9997146646
राजनीति विज्ञान विभाग		2. डा0 सुखपाल सिंह रौतेला,असि0प्रो0 (सम्बद्ध)	9634276986
1. डा0 प्रकाश लखेड़ा, असि0 प्रो0	7579036572	3. श्री शंकर नाथ गोस्वामी,असि0 प्रो0	8126384336
2. श्री रूचिर जोशी, असि0 प्रो0	9690927096	4. डा0 उमेश चन्द्र आर्या, असि0 प्रो0	7830205841
गृहविज्ञान विभाग		5. डा0 घनश्याम सिंह असि0 प्रो0	9639149770
1. डा0 अपराजिता, एसो0 प्रो0	6398864369	**बी0एड0 विभाग (स्ववित्त पोषित)**	
2. डा0 सोनाली कार्तिक,असि0 प्रो0	8630289770	1. डा0 ए0के0 द्विवेदी	9415478058
इतिहास विभाग		2. डा0 दीपक चन्द्र	9412929571
1. डा0 विमला देवी, असि0 प्रो0	9411900411	3. डा0 रामधन नोटियाल	8126314544
समाजशास्त्र विभाग		4. श्रीमती स्वाति जोशी	9719137627
1. डा0 अनीता सिंह, एसो0प्रो0	9411538010	5. श्रीमती सरोज यादव	9454830014
2. डा0 ममता गंगवार प्रवक्ता	7409876978	6. श्री सुनील कुमार	9456321113
शिक्षाशास्त्र विभाग			
1. श्रीमती स्वाती मेलकानी, असि0 प्रो0	9411538852		
2. डा0 नीरज काण्डपाल, असि0 प्रो0	9758333622		
मनोविज्ञान विभाग			
1. डा0 रितु मित्तल, प्रोफेसर	9997530459		

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
कार्यालय कर्मचारी		
श्री मुकेश भट्ट	मु0प्र0 अधिकारी	7060526198
श्रीमती चन्द्रा जोशी (सम्बद्ध)	प्रवर सहायक	7351981943
श्री विनोद सिंह पाटनी	उपनल, आशुलिपिक	8958618003
श्री प्रेम गिरी	अनुसेवक	9761337553
श्री लक्ष्मी दत्त जोशी	अनुसेवक	9675737120
श्री मनोज जोशी	अनुसेवक	9917300214
श्री ब्रजमोहन,	अनुसेवक (उपनल)	6399089022
श्री रविन्द्र कुमार	अनुसेवक (उपनल)	9756046266
श्री कमल किशन,	अनुसेवक (पी0आर0डी0)	7895128794
श्री राहुल सामन्त	अनुसेवक (उपनल)	9654469742
श्री रमेश चन्द जोशी	अनुसेवक (उपनल)	8191040390
श्री अतुल अधिकारी	अनुसेवक (उपनल)	7078335567
श्री रमेश चन्द जोशी	अनुसेवक (उपनल)	6395656768
श्री सुनील राय	अनुसेवक (उपनल)	8006611575
प्रयोगशाला कर्मचारी		
श्री कमल सिंह	तकनीशियन/पुस्तकालय प्रभारी	9411579081
श्रीमती नीमा	प्रयो.सहा. भूगोल	9410585907
श्री उमेश पुनेठा	प्रयो.सहा. जन्तु विज्ञान	9568009014
श्रीमती कुसुमलता देवी	प्रयो.सहा. वनस्पति विज्ञान	6395471395
कु0 भावना	प्रयो.सहा. रसायन विज्ञान	7351427816
श्रीमती मीना मेहता	उपनल, प्रयो0सहा0	8057662256
बी0एड0 विभाग		
श्री प्रकाश सिंह ढेक	उपनल लेखाकार (उपनल)	7302003164
श्री कमल सिंह अधिकारी	उपनल लिपिक (उपनल)	7248625096
श्री योगेन्द्र सिंह धौनी	उपनल स्टोर कीपर (उपनल)	9760681898
श्री दीपक चन्द्र	उपनल अनुसेवक (उपनल)	9675866256
श्री पुष्कर पंत	उपनल अनुसेवक (उपनल)	9837940268
श्री प्रेम बल्लभ जोशी	उपनल अनुसेवक (उपनल)	8475091788

कुल-गीत

महान विद्या सदन हमारा
सदैव सविनय नमन हमारा

विराट नगराज के हृदय में
सुदेश कूर्मान्चल निलय में
उदित हुआ बोध का सितारा
सदैव सविनय नमन हमारा

पवित्र लोहावती के तट पर
सरस्वती का पुनीत मन्दिर
जहाँ मिला ज्ञान का सहारा
सदैव सविनय नमन हमारा

प्रदेश की नीति से प्रशासित
कला विज्ञान वाणिज्य से प्रकाशित
विकास की प्रेरणा की धारा
सदैव सविनय नमन हमारा

विवेक विज्ञान का जगाकर
अँधेरा अज्ञान का मिटाकर
विखेरता है प्रकाश न्यारा
सदैव सविनय नमन हमारा

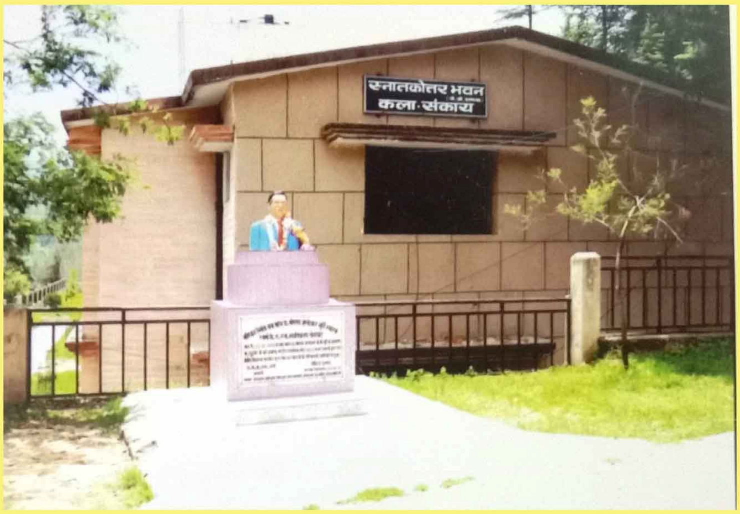

स्नातकोत्तर भवन
कला-संकाय

स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत)
विज्ञान संकाय
SCIENCE BLOCK

शुल्क ₹ 50/-